Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to allocate Rajasthan its due share of water for Sidhmukh Nohar Irrigation Project -laid.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : पंजाब - हरियाणा एवं राजस्थान के जल समझोंते एवं भारत सरकार के निर्णय 1981 के अनुसार सिधमुख नोहर सिंचाई प्रणाली हेतु 0.47 एम. ए.एफ़. पानी देना निर्धारित किया गया था, जिसमें से 0.30 एम. ए.एफ़. पानी ही राजस्थान को साउथ घगर एवं झंडेवाला वितरिका से उपलब्ध है एवम शेष 0.17 एम. ए.एफ़. पानी एक्स नागल राजस्थान को नागल से भाखड़ा मेन लाइन के माधयम से राजस्थान सरकार के संसाधनो से उपलबध करवाया जाना था । उक्त भारत सरकार का निर्णय अनुबंध 1981 के अनुसार सभी सदस्य राज्यो के लिए बाध्य है । दिनांक 23.07.2007 को केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुनिशचित किया कि पंजाब ने बी. एम. एल. की सम्पूर्ण क्षमता सुनिशचित करने हेतु समस्त कार्य पूर्ण कर लिए है । भाखडा विकास प्रबंधन निगम द्वारा उकत प्रकरण भारत सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया गया है जो कि आवश्यक नहीं था । पानी पंजाब द्वारा समझोते के आधार पर राजस्थान को आबंटित किया गया है । हरियाणा का इस पानी से संबंध नहीं है । राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह के बाद भी हरियाणा के कारण हमें आबंटित शेष 0.17 एम. ए.एफ़. पानी नहीं मिल रहा है । सिधमुख, नोहर सिंचाई हेतु 0.47 एम. ए.एफ़. पानी आबंटित किया गया, इस पानी के हिसाब से नहर, वितरिका आदि का निर्माण किया गया है, लेकिन शेष बचा हुआ पानी नहीं मिलने के कारण इस क्षेत्र के किसानो में भारी रोष है, वे आंदोलित है । सरकार के समक्ष कानून व्यवस्था बनाये रखना मुश्किल हो रहा है । राजस्थान ने वर्ष 2009 में ही सिधमुख नोहर परियोजना पूर्ण कर ली है एवं परियोजना के सिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता विकसित कर ली है । वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विचारधीन है । मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हेत् उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करे एवम बी.

बी. एम. बी.को राजस्थान के हिस्से का 0.17 एम. ए.एफ़. पानी एक्स नांगल को देने के लिए निर्देशित करे ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि रावी व्यास के आधिक्य पानी से 0.17 एम. ए.एफ़. पानी (एक्स नांगल) राजस्थान को हरियाणा -राजस्थान सीमा पर आबंटित किया जाये ।